"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 जून 2018—ज्येष्ठ 25, शक 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं टुम्मन लाल चन्द्राकर आत्मज रामदयाल चन्द्राकर, उम्र 49 वर्ष, निवासी-ग्राम अण्डा, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.), वर्तमान पता-21/ए, डी-पाकेट, मरोदा सेक्टर, सिविक सेंटर, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में मेरा पूर्ण व सही नाम टुम्मन लाल चन्द्राकर दर्ज है, किन्तु मेरे पुत्र आदित्य कुमार के समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा लघु नाम टी. एल. चन्द्राकर दर्ज है. मैं अपने पुत्र के समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा पूर्ण नाम टुम्मन लाल चन्द्राकर जोड़वाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मेरे पुत्र को आदित्य कुमार आ. टुम्मन लाल चन्द्राकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
आदित्य कुमार पिता- टी. एल. चन्द्राकर निवासी-ग्राम अण्डा, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) वर्तमान पता-21/ए, डी-पाकेट, मरोदा सेक्टर, सिविक सेंटर, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	आदित्य कुमार पिता- श्री टुम्मन लाल चन्द्राकर निवासी-ग्राम अण्डा, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) वर्तमान पता-21/ए, डी-पाकेट, मरोदा सेक्टर, सिविक सेंटर, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हेमेश्वर प्रसाद साहू आत्मज स्व. अनिल कुमार साहू, उम्र 31 वर्ष, निवासी-वार्ड नं.-16, आजाद चौक, शिवपुरी, जामुल तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों, आधार कार्ड, पेन कार्ड में मेरा सही व पूर्ण नाम हेमेश्वर प्रसाद साहू (HEMESHWAR PRASAD SAHU) दर्ज है, किन्तु कक्षा दसवीं और बारहवीं, स्नातक के प्रमाण पत्रों में मेरा नाम (HEMESHEVAR SAHU) व (HEMESHEVAR PRASAD SAHU) दर्ज है जो त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने कक्षा दसवीं, बारहवी और स्नातक के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा सही व पूर्ण नाम " हेमेश्वर प्रसाद साहू" (HEMESHWAR PRASAD SAHU) जोड़वाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे हेमेश्वर प्रसाद साहू (HEMESHWAR PRASAD SAHU) आ. स्व. अनिल कुमार साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

हेमेशेवर साहू
(Hemeshevar Sahu)
हेमेशेवर प्रसाद साहू
(Hemeshevar Prasad Sahu)
पिता-स्व. अनिल कुमार साहू
निवासी-वार्ड नं.-16, आजाद चौक,
शिवपुरी, जामुल,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

हेमेश्वर प्रसाद साहू
(Hemeshwar Prasad Sahu)
पिता-स्व. अनिल कुमार साहू
निवासी-वार्ड नं.-16, आजाद चौक,
शिवपुरी, जामुल,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, चित्रांक चन्द्राकर आत्मज श्री महेन्द्र कुमार चन्द्राकर, उम्र 30 वर्ष, जाति कुर्मी, निवासी-बोरसी कालोनी, एच. आई. जी. 1/156, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम चित्रांक भारद्वाज आ. श्री महेन्द्र भारद्वाज दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम के साथ "भारद्वाज " को हटाकर सही उपनाम "चन्द्राकर" जोड़कर पूर्ण व सही नाम चित्रांक चन्द्राकर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे चित्रांक चन्द्राकर आत्मज श्री महेन्द्र कुमार चन्द्राकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

चित्रांक भारद्वाज
पिता-श्री महेन्द्र भारद्वाज
निवासी-बोरसी कालोनी,
एच. आई. जी. 1/156, दुर्ग,
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

चित्रांक चन्द्राकर
पिता-श्री महेन्द्र कुमार चन्द्राकर
निवासी-बोरसी कालोनी,
एच. आई. जी. 1/156, दुर्ग,
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ओमकुमार साहू आ. श्री रामचंद साहू, उम्र 34 वर्ष, जाति तेली, निवासी-ग्राम-पतोरा, पो.-कारेसरा, तहसील थानखम्हरिया, जिला बेमेतरा (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, बैंक पासबुक, परिचय पत्र में मेरा नाम ओमकुमार साहू आ. श्री रामचंद साहू दर्ज है, जो कि सही है, किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम ओमकुमार आ. रामचंद दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मैं अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य आवश्यक दस्तावेजों व अभिलेखों में मेरा पूर्ण नाम ओमकुमार साहू आ. श्री रामचंद साहू जोड़वाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे ओमकुमार साहू आत्मज श्री रामचंद साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
ओमकुमार पिता-श्री रामचंद निवासी-ग्राम-पतोरा, पोस्ट-कारेसरा, तहसील-थानखम्हरिया, जिला-बेमेतरा (छ. ग.)	ओमकुमार साहू पिता-श्री रामचंद साहू निवासी-ग्राम-पतोरा, पोस्ट-कारेसरा, तहसील-थानखम्हरिया, जिला-बेमेतरा (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सूर्यकांत उपाध्याय, आत्मज स्व. उमाशंकर उपाध्याय, उम्र 59 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-4/ए, सड़क नं.-38, सेक्टर-1, भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक खाता, व अन्य आवश्यक अभिलेखों/दस्तावेजों में मेरा पूर्ण नाम सूर्यकांत उपाध्याय दर्ज है, किंतु मेरे कक्षा ग्यारहवीं की अंकसूची में मेरा नाम सूर्यकान्त दर्ज है जो कि अपूर्ण है, मैं अपने कक्षा ग्यारहवीं की अंकसूची में अपना पूर्ण नाम सूर्यकांत उपाध्याय जोड़वाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे सूर्यकांत उपाध्याय आ. स्व. उमाशंकर उपाध्याय के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
सूर्यकान्त पिता-स्व. उमाशंकर उपाध्याय निवासी-क्वा. नं.-4/ए, सड़क नं.-38, सेक्टर-1, भिलाई नगर, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	सूर्यकांत उपाध्याय पिता-स्व. उमाशंकर उपाध्याय निवासी-क्वा. नं.-4/ए, सड़क नं.-38, सेक्टर-1, भिलाई नगर, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ब्लसन बोस्को, आत्मज श्री डॉन बोस, उम्र 23 वर्ष, निवासी-म. नं. 214/डी, रूआबांधा सेक्टर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, पेन कार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, बैंक पासबुक तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों व दस्तावेजों में मेरा नाम ब्लसन बोस्को व जन्मतिथि 25-03-1995 दर्ज है, जो कि सही है. मेरे पिता भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं, उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम ब्लसन बोस दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने पिता के सर्विस रिकार्ड में मेरा सही नाम "ब्लसन बोस्को" जोड़वाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे ब्लसन बोस्को (BLESSON BOSCO) आ. श्री डॉन बोस के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
ब्लसन बोस (BLESSON BOSE) पिता-श्री डॉन बोस निवासी-म. नं. 214/डी., रूआबांधा सेक्टर, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	ब्लसन बोस्को (BLESSON BOSCO) पिता-श्री डॉन बोस निवासी-म. नं. 214/डी., रूआबांधा सेक्टर, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सतेन्द्र सिंह सेंगर, आत्मज स्व. सुलतान सिंह सेंगर, उम्र 54 वर्ष, निवासी-कृषक नगर कालोनी जोरा, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड व मतदाता परिचय पत्र में मेरा नाम सतेन्द्र सिंह सेंगर दर्ज है, किन्तु मेरे पेनकार्ड में मेरा नाम सतनैरा सिंह सेंगर आ. लक्ष्मीनारायण शर्मा दर्ज हो गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने पेनकार्ड में मेरा सही नाम "सतेन्द्र सिंह सेंगर आ. स्व. सुलतान सिंह सेंगर" जोड़वाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे सतेन्द्र सिंह सेंगर आ. स्व. सुलतान सिंह सेंगर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
सतनैरा सिंह सेंगर पिता-लक्ष्मीनारायण शर्मा निवासी-कृषक नगर कालोनी जोरा, रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)	सतेन्द्र सिंह सेंगर पिता-स्व. सुलतान सिंह सेंगर निवासी-कृषक नगर कालोनी जोरा, रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय परिसमापक रेनाट्स क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी मर्यादित, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 26 मई 2018

(छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 एवं नियम 57 के अंतर्गत)

क्र. /परि./2018/04.—पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, छत्तीसगढ़ का आदेश क्र./पंजी/0-04-18/2018/910 नया रायपुर, दिनांक 08-02-2018 के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को रेनाट्स क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी, मर्यादित छत्तीसगढ़, बिलासपुर, पं. क्र.-43 का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: परिसमापित रेनाट्स क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी मर्यादित छत्तीसगढ़ बिलासपुर के सभी वर्तमान/भूतपूर्व सदस्यों, लेनदारों, देनदारों एवं अन्य जो उक्त संस्था के संव्यवहारों से किसी भी प्रकार से संबद्ध है, को आदेशित किया जाता है कि, उक्त परिसमापित सोसायटी से संबंधित सभी रिकॉर्ड्स, संपत्ति अथवा यदि कोई दावा हो तो, ऐसे सभी चीजबस्त एवं दावे इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से 60 दिवस के भीतर मुझे सौंप देवें. नियत तिथि के पश्चात् किसी व्यक्ति अथवा संस्था की अभिरक्षा में उक्त परिसमापित सोसायटी से संबंधित कोई रिकॉर्ड्स या संपत्ति पाये जाने पर, ऐसे व्यक्ति या संस्था नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही के अध्यधीन होंगे. समयावधि पश्चात् प्रस्तुत दावे मान्य नहीं होंगे. तत्पश्चात् छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 एवं नियम 1962 के नियम 57 के अंतर्गत सोसायटी के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर, प्रतिवेदन पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किया जावेगा.

प्रदीप ठाकुर,
परिसमापक एवं
सहायक पंजीयक .

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.